Supplement—II Regd. No. CHD/0093/2015-2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 47-2016] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2016 (AGRAHAYANA 1, 1937 SAKA)

General Review

समीक्षा

हरियाणा वन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2014–15 की समीक्षा

दिनांक 9 नवम्बर, 2016

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके लगभग 81 प्रतिशत भू–भाग पर खेती की जाती है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 44,212 वर्ग कि0मी0 है जो कि भारतीय संघ के कुल भू–भाग का केवल 1.3 प्रतिशत है। राज्य में प्राकृतिक वनों का अभाव है। राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र 1,758 वर्ग कि0मी0 है जो कि इसके भू–भाग का मात्र 3.98 प्रतिशत है। राज्य में सड़कों, रेलों, बांधों तथा नहरों आदि के साथ लगती पट्टियों की भूमि भी वन क्षेत्र में शामिल की गई है तथा इनको भारतीय वन अधिनियम – 1927 के तहत सुरक्षित वन अधिसूचित करवाया जा चुका है।

राज्य में वन एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 6.65 प्रतिभात भाग पर विद्यमान है (एफ0एस0आई0 देहरादून द्वारा प्रकाशित भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट–2015 के अनुसार), जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में अंकित है कि देश का कम से कम 33 प्रतिभात भौगोलिक क्षेत्र वन एवं वृक्षावरण के अधीन होना चाहिए। हरियाणा राज्य ने वर्ष 2006 में अपनी राज्य वन नीति तैयार की जिसके अन्तर्गत राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र को चरण बद्ध तरीके से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

राज्य में वनों की कमी को पूरा करने के लिए भू–पट्टियों, सामुदायिक भूमियों एवं खेतों में मानव निर्मित वनों (पौधारोपण) को विकसित किया गया है। राज्य सरकार की वन नीति के प्रावधानों की अनुपालना में वन विभाग, वन एवं वृक्षावरण की गुणवत्ता व मात्रा वृद्धि हेतु अथक प्रयास कर रहा है। पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं, विशेषरूप से कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए राज्य में सफल अनुसंधान कार्यों पर आधारित पौधारोपण किये जा रहे है। वानिकी कार्यकलापों, विशेष रूप से वृक्षारोपणों को राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण की बहाली व सुधार के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

वर्ष 2014–15 में 3.00 करोड़ पौधो के लक्ष्य के विरुद्ध 2.88 करोड़ पौधे (विभागीय पौधारोपण – 2.14 करोड़ वितरित पौधे –0.74 करोड़) लगाये गये । वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य में पौध वितरण रोपण लक्ष्य का 26 प्रतिभात रहा। वर्ष के दौरान प्लान स्कीमों का खर्च 190.66 करोड़ रु0 रहा जिसमें अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना /अनुसूचित जाति गांव में वानिकी गतिविधियों का खर्च 18 करोड़ रु0 शामिल है।

वाहनों के आवागमन के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए व हरियाणा में पारिस्थितिकी का संरक्षण करने के लिये वर्ष 2010–11 से शुरू की गई "राष्ट्रीय/राजकीय उच्च मार्गों के साथ लगने वाली कृषि भूमि पर वानिकी विस्तार" नामक योजना इस वर्ष में भी जारी रही। इस योजना के तहत वन विभाग शैल्टर बैल्ट के रूप में उच्च मार्गों के साथ कृषि भूमि पर पौधारोपण करता है और दो वर्षों तक इसका रखरखाव भी करता है। इन पौधारोपणों की विभाग और किसानों द्वारा संयुक्त रूप से तीन वर्षों तक सुरक्षा की जाएगी तथा इसके पश्चात इसको किसानों को सौंप दिया जाएगा। अंतिम फसल कटाई के समय पर पूरे उत्पाद का स्वामी किसान होगा। इस प्रकार से उम्मीद की जाती है कि यह स्कीम वाहनों से होने वाले प्रदूषण

को कम करने, वृक्षावरण बढ़ाने एवं राज्य में किसानों की आय वृद्धि में मददगार होगी। वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 975.00 लाख रु0 खर्च करके 3058 आर0के0एम0 भूमि पर पौधारोपण किया गया।

वर्ष 2008–09 से कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और सम्पूर्ण राज्य में वन एवं वृक्षावरण बढ़ाने के लिए, "कृषि वानिकी का विकास–क्लोनल और नॉन क्लोनल" नामक एक योजना शुरू की गई। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि भूमि पर क्लोनल सफेदे के पौधे लगाना है। यह स्कीम भी राज्य के किसानों की आय वृद्धि और काष्ठ आधारित इकाईयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहयोगी सिद्ध होगी और राज्य में हरित क्षेत्र भी बढ़ेगा। वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 4081.32 लाख रु0 खर्च करके 7344.50 है0 तथा 1000 आर0के0एम0 भूमि पर पौधारोपण किया गया।

वर्ष 2014–15 के दौरान सरकारी जंगलों का अनुमानित ग्रोईंग स्टॉक 69 लाख घ0मी0 रहा जबकि वर्ष 2013–14 के दौरान यह 70 लाख घ0मी0 था। वर्ष 2014–15 के दौरान कोई नया वन बंदोबस्त कार्य नहीं किया गया। वर्ष के दौरान 7 वन मण्डलों की कार्ययोजना बनाई गई।

औषधीय पौधों के गुणों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में हर्बल पार्क विकसित किये गये हैं। वर्ष के दौरान 4 नये हर्बल पार्क विकसित किये गये। अब तक 48 हर्बल पार्क विकसित किये जा चुके हैं तथा 10 अन्य हर्बल पार्क विकसित किये जा रहे हैं।

राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राज्य में 2 राष्ट्रीय पार्क, 8 वन्यजीव अभयारण्य, 2 संरक्षण आरक्षः तथा 3 लघु चिड़ियाघर है जिनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

राष्ट्रीय उद्यान

राष्ट्रीय उद्यान का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1. सुलतानपुर	गुड़गांव	05.07.1991	352.17
2. कलेसर	यमुनानगर	08.12.2003	11570.00

वन्य–प्राणी विहार

वन्य–प्राणी विहार का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1. भिण्डावास	झज्जर	07.05.1986	1016.94
2. छिलछिला	कैथल	28.11.1986	71.45
3. नाहड़	रेवाड़ी	30.01.1987	522.25
4. बीड़ शिकारगाह	पंचकूला	29.05.1987	1896.00
5. अबूबशहर	सिरसा	27.11.1987	28492.00
6. खापड़वास	झज्जर	27.03.1991	204.36
7. कलेसर	यमुनानगर	13.12.1996	13209.00
		13.01.2000	222.65
8. मोरनी हिल्ज (खोल–हाय–रायतन)	पंचकूला	10.12.2004	5501.88
		07.09.2007	6563.93

संरक्षण आरक्षः

संरक्षण आरक्षः का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1. सरस्वती	कैथल	11.10.2007	11003.00
2. बीड बडा वन	जीन्द	11.10.2007	1036.00

लघु चिड़ियाघर

चिड़ियाघर का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)
1. भिवानी	भिवानी	1982–83	10.97
2. पिपली	कुरुक्षेत्र	1985–86	27.00
3. रोहतक	रोहतक	1985–86	41.29

बाम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा पिंजौर के निकट वन विभाग के सहयोग से गिद्धों के संरक्षण एवं पुर्नवास के लिए "गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र" की स्थापना की गई है जो कि पूरे भारत में तेजी से कम हो रहे है। यह केन्द्र अगस्त 2001 में शुरू किया गया तथा यह केन्द्र ब्रिटिश सरकार की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए डार्विन इनिशिएटिव द्वारा पहले पांच साल के लिए वित्त पोशित किया गया और अब इस केन्द्र की गतिविधियां पक्षियों के संरक्षण हेतू रॉयल सोसायटी (आर0एस0पी0बी0) लन्दन द्वारा बी0एन0एच0एस0 को उपलब्ध करवाये गये धन से ही समर्थित हैं। गिद्धों के संरक्षण एवं पुर्नवास हेतु स्थापित एशिया में यह अपनी तरह का पहला केन्द्र है।

इस केन्द्र में उपलब्ध गिद्धों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रं0सं0	गिद्ध की प्रजाति	वयस्क	किशोर	कुल
1	White backed	30	46	76
2	Long billed	45	61	106
3	Slender billed	15	14	29
4	Himalyan Griffon	00	02	02
	कुल	**90**	**123**	**213**

यमुनानगर जिले के बनसन्तौर जंगल में एक हाथी पुनर्स्थापन एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्र में बीमार, घायल एवं बचाये गये हाथियों को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जाता है जिससे इन्हें प्राकृतिक आवास मिल सके। इस केन्द्र पर 26.82 लाख रुपये की राशि वर्ष 2014–15 के दौरान खर्च की गई।

रेवाड़ी जिले के झाबुआ आरक्षित वन क्षेत्र में मोर तथा चिंकारा के लिए संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गयी है। इस केन्द्र में मोर व चिंकारा का प्राकृतिक ढंग से प्रजनन किया जायेगा। 20 वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना पर स्टॉफ के वेतन सहित लगभग 20 करोड़ रु0 खर्च होने का अनुमान है। इस केन्द्र पर 13 लाख रुपये की राशि वर्ष 2014–15 के दौरान खर्च की गई।

राज्य वन नीति में विशेष रूप से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय सजृन गतिविधियों में वृद्धि हो सके और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में शामिल किया जा सके। इन स्वयं सहायता समूहों को लघु–उद्योगों के माध्यम से स्व–रोजगार पाने एवं आय में बढ़ोतरी करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये कुल 2487 ग्राम वन समितियों एवं विशेषतः महिलाओं के 2195 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

विभागीय भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति वर्ष 2014–15 के दौरान निम्न प्रकार से रहे :–

क्रं0 सं0	(क) योजना	भौतिक		वित्तिय (रुपये लाखों में)
		है0	आर0के0एम0	
(क) राज्य स्कीमें				
1	कृषि वानिकी का कुटक/गैर कूटक विकास	7344.50	1000.00	4081.32
2	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना /अनुसूचित जाति गांव में वानिकी गतिविधियां	3713.00	490.00	1800.00
3	सामाजिक तथा कृषि वानिकी	2766.00	--	1999.00
4	शहरी क्षेत्रों में हरी पट्टी	--	342.00	597.89

5	वानिकी विस्तार रेल, रोड और नहर,	--	3058.00	975.00
6	परिभ्रष्ट वनों का पुनर्वास	1282.00	--	1200.00
7	सरकारी भूमि पर पट्टीदार पौधारोपण	--	3907.00	1981.46
8	प्रतिपूरक वानिकी	--	125.00	46.99
9	मरूस्थल नियंत्रण	94.00	--	60.00
10	अरावली पहाड़ियों पर संस्थाओं का पुनरूत्थान	600.00	--	500.00
11	मृदा संरक्षण	--	--	240.00
12	पौधारोपण लक्ष्य रहित स्कीमें	--	--	3567.03
जोड़		**15799.50**	**8922.00**	**17048.69**
(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (शेयर बेसिज)				
1	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (राज्य वन विकास एजेंसी) (एस0एफ0डी0ए0) द्वारा क्रियान्वित	2967.00	--	1100.00
2	वन्यजीव निवास के समन्वित विकास (वन्यजीव)	--	--	20.00
	जोड़	**2967.00**		**1120.00**
(ग) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (शेयर बेसिज)				
1	समेकित वन संरक्षण (केन्द्रीय शेयर–149.56 लाख रु0 तथा राज्य शेयर – 49.86 लाख रु0)	--	--	199.42
2	राष्ट्रीय पार्क तथा विहारों का विकास (केन्द्रीय शेयर – 88.87 लाख रु0 तथा राज्य शेयर – 81.34 लाख रु0)	--	--	170.21
जोड़		--	--	**369.63**
(घ) वन्य–प्राणी परिरक्षण				
1	वन्य–प्राणी संरक्षण	--	--	231.66
2	चिड़ियाघरों व हिरण पार्कों का विस्तार	--	--	296.55
जोड़		--	--	**528.21**
योजना जोड़		**18766.50**	**8922.00**	**19066.53**
(ख) गैर–योजना				
1	निर्देशन एवं प्रशासन (मुख्यतः स्थापना व्यय)	--	--	9810.43
2	पौधारोपण एवं गणना	--	--	1023.23
3	लोंगिग (वृक्षों की कटाई तथा फर्नीचर बनाना)	--	--	625.00
4	संचार एवं भवन (खासतौर पर भवनों की मुरम्मत पर)	--	--	22.00
5	अन्य चार्जिज (बकाया राशि भुगतान)	--	--	89.45
6	अन्य (प्रशिक्षण, वर्दी एवं मिश्रित)	40.00	--	62.05
7	वन्य–प्राणी परिरक्षण	--	--	747.45
गैर–योजना जोड़		**40.00**	--	**12379.61**
योजना तथा गैर–योजना जोड़		**18806.50**	**8922.00**	**31446.14**

(ग) डी0आर0डी0ए0 तथा अन्य संस्थाएं				
1	कैम्पा (प्रतिपूरक वानिकी कोष प्रबन्धन पौधारोपण संस्था)	1514.00	2236.00	2201.92
2	गुगल प्रोजेक्ट	102.00	--	26.22
3	एन0टी0पी0सी0	--	135.00	227.79
जोड़		**1616.00**	**2371.00**	**2455.93**
कुल –जोड़		**20422.50**	**11293.00**	**33902.07**

योजना तथा गैर योजना खर्च :

वर्ष 2014–15 के दौरान विभागीय योजनागत खर्चा 190.66 करोड़ रुपये था जबकि गैर योजनागत स्कीमों पर 123.80 करोड़ रुपये रहा। मुख्य व लघु वन उपज की बिक्री से 30.24 करोड़ रुपये, पौधों की बिक्री से 1.34 करोड़ रुपये, मिश्रित प्राप्तियों से 7.15 करोड़ रुपये तथा वन्य–प्राणी संरक्षण से 0.38 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये। इस प्रकार विभागीय राजस्व प्राप्तियां व कुल खर्च क्रमशः 39.11 करोड़ रुपये व 314.46 करोड़ रुपये रहा। कुल स्थापना खर्च 141.96 करोड़ रुपये आंका गया जो कि कुल खर्च का 43 प्रतिशत है। वर्ष 2014–15 में डी0आर0डी0ए0 इत्यादि अन्य एजेन्सियों से प्राप्त 24.56 करोड़ रुपये की राशि सहित सम्पूर्ण खर्च 339.02 करोड़ रुपये रहा।

नये भवनों, सड़कों व मार्गों के निर्माण पर 2.74 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। पुराने भवनों, सड़कों व मार्गों की मुरम्मत 2.82 करोड़ रुपयों की लागत से की गई। इस प्रकार से वर्ष के दौरान विभाग द्वारा संचार तथा भवनों पर 5.56 करोड़ रुपये खर्च किये और जिसमें स्टेट स्कीमों का खर्चा 5.21 करोड़ रुपये तथा कैम्पा प्रोग्राम का खर्चा 0.35 करोड़ रुपये रहा।

राज्य के सरकारी जंगलों से कटाई

विभागीय उत्पादन मण्डलों द्वारा 58550 घ0मी0 तथा हरियाणा वन विकास निगम द्वारा 56969 घ0मी0 वृक्षों को काटा गया। इस प्रकार से वर्ष 2014–15 में सरकारी जंगलों से 1,15,519 घ0मी0 वृक्षों की कटाई की गई।

वन एवं वन्य–प्राणी अपराध

भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य–प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 तथा इसके अधीन बनाये गये नियम राज्य में वन एवं वन्य–प्राणियों के संरक्षण व सुरक्षा के लिये सख्ती से लागू रहे। पिछले पांच वर्षों के अपराध सम्बन्धी आंकड़ों की समीक्षा निम्न प्रकार रही।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत अपराध

वर्ष	31 मार्च को बकाया	वर्ष के दौरान दर्ज हुये	जोड़	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के दौरान जिन मामलों का पता नहीं चला	वर्ष के अन्त में बकाया
2010–11	8948	10564	19512	8788	154	10570
2011–12	10570	8769	19339	11415	65	7859
2012–13	7859	7459	15318	9751	24	5543
2013–14	5543	8026	13569	8476	1	5092
2014–15	5092	7323	12415	7877	122	4416

वन्य–प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अपराध

वर्ष	31 मार्च को बकाया	वर्ष के दौरान दर्ज हुये	जोड़	वर्ष के दौरान निपटान		वर्ष के अन्त में बकाया
				विभाग द्वारा	न्यायालय द्वारा	
2010–11	301	372	673	490	14	169
2011–12	169	456	625	518	28	79
2012–13	79	488	567	427	52	88
2013–14	88	398	486	358	20	108
2014–15	108	425	533	311	30	192

जांच एवं मूल्यांकन

वन विभाग के कार्य मुख्यतः नर्सरी उगाना, अर्थ वर्क, पौधे लगाना, पौधारोपण की देखरेख के दौरान उसका नुकसानों से बचाव करना; वन सम्पदा की चोरी रोकना, भू–संरक्षण कार्य आदि हैं। इन कार्यों को अमल में लाने के लिए क्षेत्रीय अमला सीधे तौर पर जिम्मेवार है, परन्तु इन कार्यों की नियमित तथा सामायिक जांच एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है। जांच एवं मूल्यांकन आन्तरिक व बाहरी तौर से किया जा सकता है। वन विभाग ने विभाग के अन्दर ही आन्तरिक मूल्यांकन की प्रणाली विकसित की है। कभी–कभी राज्य सरकार द्वारा बाहरी मूल्यांकन भी करवाया जाता है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के मामलों में मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा तथा बाहरी मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं का मूल्याकंन अनुदान देने वाली संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है।

ई– शासन अंगीकार :

लेखा, प्रशासन, वन एवं वन्य जीव तथा कार्मिक प्रबंधन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0) का विकास किया जा रहा है। राज्य में पौधारोपण क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, आग से प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे तैयार करने के लिये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी0पी0एस0) का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र के परिवर्तन को आंकने के उद्देश्य से उपग्रहों से प्राप्त इमेजों के उपयोग का प्रस्ताव है। वन भूमि प्रबन्धन, वन अपराध प्रबंधन तथा नर्सरी स्टॉक प्रबंधन आदि मुख्य वानिकी कार्यों हेतु मध्य प्रदेश वन विभाग की सहायता से निर्णय सहायक तंत्रों का विकास किया जा रहा है। वन सम्पति प्रबंधन नामक एक अन्य निर्णय सहायक तन्त्र भी विकसित करवाया जा रहा है।

"पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम, 1900 के तहत बंद क्षेत्रों से पेड़ काटने बारे अनुमति" तथा "आरक्षित वन/प्रतिबंधित वन/पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम के तहत बंद क्षेत्रों बारे अनापति पत्र" नामक दो नागरिक सेवाओं को विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ब्लाक वन क्षेत्रों को हारसैक, हिसार की मदद से डिजिटाईस करवाया जा रहा है।

आर०आर० जोवल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

चण्डीगढ़:
दिनांक : 30-08-2016.

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF HARYANA FOREST DEPARTMENT FOR THE YEAR 2014-15

Haryana is primarily an agricultural state with almost 81% of its land under cultivation. It has a geographical area of 44,212 sq. km, which is merely 1.3% of the geographical area of the country. The state is not bestowed with bounty of natural forests. The extent of recorded forest areas in the state is 1,758 sq. km *i.e.* 3.98% of its total land area. The forest areas include strips of land along roads, canals, bunds and railways etc., which have been notified as protected forests under the Indian Forest Act, 1927.

The Forest and Tree Cover (FTC) extends only to 6.65% of the geographical area of the state (as per State of Forest Report-2015 published by the Forest Survey of India (FSI) Dehradun) whereas the National Forest Policy, 1988 envisages of having at least 33% of the total geographical area of the country under FTC. The state of Haryana formulated its own State Forest Policy in the year 2006 that aims at increasing the FTC in the state to 20% in a phased manner.

To make up for the deficient forests, the state has developed man-made forests (plantations) on strip lands, community lands and farm lands. In compliance of the provisions made in the Forest Policy of State Government, the Forest Department is making all efforts in increasing the quality and quantity of FTC in the state. Plantations based on successful research works are being carried out in the state to enhance ecosystem services. The forestry activities, especially plantations are being executed in the state to achieve the goal of restoration and amelioration of environment.

During 2014-15, 2.88 crore plants were planted (Departmental plantations - 2.14 crore; Distribution of plants - 0.74 crore) against the planting target of 3.00 crore plants in the state. The distribution of seedlings was about 26% of the planting carried out in the state during 2014-15. The expenditure under state plan schemes remained Rs. 190.66 crore which includes Special Component Plan for Schedule Castes / Forestry Activity in SC Villages of Rs. 18 crore during the year.

The scheme known as "Extension Forestry on Farm Lands along National/State Highways" which was started during the year 2010-11, also continued in this year. This scheme was launched to check pollution caused by vehicular traffic. Under this scheme, the Forest Department carries out plantations on farm lands along highways in the shape of shelterbelts and also carries out their maintenance for two years. The department and farmers protect the plantations jointly for three years, after which these are handed over to the farmers. Farmers will be the owner of the entire produce at the time of final harvest. In such a way, the scheme is expected to help in combating vehicular pollution, increasing the tree cover as well as income of farmers in the state. A Plantation target of 3058 RKM was achieved spending an amount of Rs. 975.00 lacs during 2014-15.

The scheme namely "Development of Agro-Forestry – Clonal and Non-Clonal" was started during the year 2008-09 to encourage agro-forestry on farm lands for increasing the FTC in the state. The main emphasis of the scheme was to raise plants of clonal eucalyptus on farmlands of small and marginal farmers. The scheme will also go a long way in augmenting the supply of raw material for wood-based industries and increasing the income of farmers in the state and also increasing the green cover in the state. A Plantation target of 7344.50 ha. and 1000 RKM was achieved spending an amount of Rs. 4081.32 lacs during 2014-15.

The growing stock in the government forests was estimated as 69 lac cubic metres during 2014-15 while it was 70 lac cubic metres during 2013-14. No new forest settlement work was carried out during the year 2014-15. Working Plans were prepared for 7 Forest Divisions during 2014-15.

Herbal parks have been developed in all districts to generate awareness about the benefits of medicinal plants, herbs and shrubs. 4 new herbal parks were established during the year 2014-15. A total of 48 herbal parks have been set up and another 10 herbal parks are under the process of establishment.

The state has about 20% of the total forest area under Protected Areas. The state has 2 National Parks, 8 Wildlife Sanctuaries, 2 Conservation Reserves and 3 Mini Zoos as mentioned below:-

National Park

Name of National Park	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1. Sultanpur	Gurgaon	05-07-1991	352.17
2. Kalesar	Yamunanagar	08-12-2003	11570.00

Wildlife Sanctuary

Name of Wildlife Sanctuary	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1. Bhindawas	Jhajjar	07-05-1986	1016.94
2. Chhilchhila	Kaithal	28-11-1986	71.45
3. Nahar	Rewari	30-01-1987	522.25
4. Bir Shikargah	Panchkula	29-05-1987	1896.00
5. Abubshehar	Sirsa	27-11-1987	28492.00
6. Khaparwas	Jhajjar	27-03-1991	204.36
7. Kalesar	Yamunanagar	13-12-1996 13-01-2000	13209.00 222.65
8. Morni Hills (Khol-Hi-Raitan)	Panchkula	10-12-2004 07-09-2007	5501.88 6563.93

Conservation Reserves

Name of Conservation Reserve	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1. Saraswati	Kaithal	11-10-2007	11003.00
2. Bir-Bara-Ban	Jind	11-10-2007	1036.00

Mini Zoos

Name of Zoo	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1. Bhiwani	Bhiwani	1982-83	10.97
2. Pipli	Kurukshetra	1985-86	27.00
3. Rohtak	Rohtak	1985-86	41.29

The Bombay Natural History Society has set up "Vulture Conservation Breeding Centre" in collaboration with the Forest Department near Pinjore to conserve and rehabilitate vultures which are rapidly decreasing throughout India. This project was started in August, 2001 and was funded by the Darwin Initiative for the Survival of Species of U.K. Government for the first five years and now the activities are being supported by the funds given by the Royal Society for Protection of Birds (RSPB), London. It is the first centre of its kind in Asia.
The details of vultures in the center are:-

Sr. No.	Species of Vulture	Adult	Juvenile	Total
1	White backed	30	46	76
2	Long billed	45	61	106
3	Slender billed	15	14	29
4	Himalyan Griffon	00	02	02
	TOTAL	**90**	**123**	**213**

An Elephant Rehabilitation and Research Centre has been set up at Bansantour forest in Yamunanagar district. This centre takes up the rehabilitation of the sick, injured and rescued elephants to provide them natural habitat. An amount of Rs. 26.82 lacs was spent on this centre during the year 2014-15.

The "Conservation and Breeding Centre for Peafowl and Chinkara" has been established in their natural habitat at Jhabua Reserve Forest (Rewari). Peafowl and Chinkara will breed naturally in this centre. The expenditure of the project during 20 years will be around Rs. 20 crores including salary of the staff. An amount of Rs. 13 lacs was spent on this centre during the year 2014-15.

The State Forest Policy proposed to create Self Help Groups (SHGs), particularly of women, in rural areas for income generation activities for the people living below poverty line and involve them in conservation of natural resources. SHGs are given proper training to start their micro-enterprises for self-employment and income generation. Total 2487 Village Forest Committees (VFCs) and 2195 SHGs, mostly of women, have been constituted in the state for socio-economic empowerment of the rural areas.

Physical and Financial performance of the department during the year 2014-15 was as under:-

Sr. No.	(A) PLAN	Physical		Financial (Rs. in lac)
		Ha	RKM	
(a) State Schemes				
1	Development of Agro-Forestry Clonal and Non-Clonal	7344.50	1000.00	4081.32
2	Special Component Plan for Schedule Castes / Forestry Activity in SC Villages	3713.00	490.00	1800.00
3	Social & Farm Forestry	2766.00	-	1999.00
4	Green Belt in Urban Areas	-	342.00	597.89
5	Extension Forestry (Rail, Road & Canal) (Plantation to check Pollution)	-	3058.00	975.00
6	Rehabilitation of Degraded Forests	1282.00	-	1200.00
7	Strip Plantation on Govt. Land	-	3907.00	1981.46
8	Compensatory Afforestation	-	125.00	46.99
9	Desert Control	94.00	-	60.00
10	Revitalization of Institution in Arravali Hills	600.00	-	500.00
11	Soil Conservation on Water shed basis including Cho-training	-	-	240.00
12	Schemes without Plantation Target	-	-	3567.03
	Total	**15799.50**	**8922.00**	**17048.69**
(b) Centrally Sponsored Schemes Plan				
1	National Afforestation Programme to be implemented by State Forest development agency (SFDA)	2967.00	-	1100.00
2	Integrated Development of Wild Life Habitats (Wild Life)	-	-	20.00
	Total	**2967.00**		**1120.00**
(c) Centrally Sponsored Schemes on Sharing Basis				
1	Integrated Forest Protection (Central Share 149.56 lac & State Share 49.86 lac)	-	-	199.42
2	Development of National Parks & Sanctuaries (Central Share 88.87 lac & State Share 81.34 lac)	-	-	170.21
	Total	**-**	**-**	**369.63**
(d) Wild Life Preservation				
1	Protection of Wild Life	-	-	231.66
2	Extension of Zoos & Deer Parks	-	-	296.55
	Total	**-**	**-**	**528.21**
	Plan Total	**18766.50**	**8922.00**	**19066.53**

(B) NON-PLAN				
1	Direction & Administration (mainly establishment expenditure)	-	-	9810.43
2	Plantation & Enumeration	-	-	1023.23
3	Logging (felling of trees & furniture making)	-	-	625.00
4	Communication and Building (specially buildings' maintenance)	-	-	22.00
5	Other Charges (back wages payments)	-	-	89.45
6	Others (training, uniform & misc.)	40.00	-	62.05
7	Wild Life Preservation	-	-	747.45
	Non- Plan Total	**40.00**	**-**	**12379.61**
	Plan & Non - Plan Total	**18806.50**	**8922.00**	**31446.14**
(C) DRDA & OTHER AGENCIES				
1	CAMPA-Compensatory Afforestation Fund Management Planning Authority	1514.00	2236.00	2201.92
2	Guggal Project	102.00	-	26.22
3	NTPC	-	135.00	227.79
	Total	**1616.00**	**2371.00**	**2455.93**
	GRAND TOTAL	**20422.50**	**11293.00**	**33902.07**

Plan & Non Plan Expenditure:

The plan expenditure of the department during the year 2014-15 was Rs. 190.66 crore whereas the non plan expenditure was Rs. 123.80 crore. Revenue amounting to Rs. 30.24 crore was realized from the sale of major and minor forest produce, Rs. 1.34 crore from sale of plants, Rs. 7.15 crore from miscellaneous receipts and Rs. 0.38 crore from wildlife preservation. Thus, the total revenue receipts and expenditure were Rs. 39.11 crore and Rs. 314.46 crore respectively. Establishment expenditure was assessed as Rs. 141.96 crore which was 43% of the total expenditure. Gross expenditure including funds of Rs. 24.56 crore made available to the department by other agencies like DRDA etc. was Rs 339.02 crore during the year 2014-15.

An amount of Rs. 2.74 crore was spent on the construction of new buildings, roads and paths. The old buildings, roads and paths were repaired at a cost of Rs. 2.82 crore Thus, the expenditure on communication & buildings remained Rs. 5.56 crore during the year out of which expenditure under state scheme was Rs. 5.21 crore and expenditure under state CAMPA was Rs. 0.35 crore.

State-owned Forests Out-turn: Trees having total volume of 58550 cubic metres were felled/harvested by Production Divisions of the Department and trees having total volume of 56969 cubic metres were felled / harvested by Haryana Forest Development Corporation (HFDC) in the state. Thus, trees having total volume of 115519 cubic metres were harvested from state-owned forests during the year 2014-15.

Forests and Wildlife Offences: Indian Forest Act 1927, Wildlife (Protection) Act 1972 and rules framed their under remained strictly enforced to protect forests and wildlife in the state. The trend of offences for last five years is given below:—

Offences under Indian Forest Act 1927

Year	Pending on 31st March	Recorded during the year	Total	Decided during the year	Undetected cases of the year	Balance at the end of the year
2010-11	8948	10564	19512	8788	154	10570
2011-12	10570	8769	19339	11415	65	7859
2012-13	7859	7459	15318	9751	24	5543
2013-14	5543	8026	13569	8476	1	5092
2014-15	5092	7323	12415	7877	122	4416

Offences under Wild Life Protection Act 1972

Year	Pending on 31st March	Recorded during the year	Total	Decided/Compounded within the year		Balance in the end of the year
				By Department	By Court	
2010-11	301	372	673	490	14	169
2011-12	169	456	625	518	28	79
2012-13	79	488	567	427	52	88
2013-14	88	398	486	358	20	108
2014-15	108	425	533	311	30	192

Monitoring and Evaluation:

The works of the Forest Department largely consist of raising of nurseries, earthwork, tree planting operations, protection of plantations from damage, guarding forest wealth from theft, soil conservation works, etc. The field staff is directly responsible for executing the works but the works require regular and periodic monitoring & evaluation. Monitoring can be either internal or external. The Forest Department has evolved a mechanism for internal monitoring within the department. External monitoring is sometimes get conducted by the state government. Also, in case of centrally sponsored schemes, monitoring is done by Govt. of India and in case of externally aided projects by the donor agencies.

Adoption of e-Governance:

Management Information System (MIS) and Geographical Information System (GIS), which are significant tools for scientific planning and management, are being developed to improve efficiency in accounts, administration, forest and wildlife management and personnel management. Global Positioning Systems (GPS) are being used for mapping of forest boundaries, fire affected areas and plantation areas in the state. To monitor changes in FTC in the state, satellite imageries are proposed to be used. Decision Support Systems (DSSs) for core forestry functions like Forest Land Management, Forest Offence Management and Nursery Stock Management etc. have been developed with the help of Madhya Pradesh Forest Department. Another DSS on Forest Assets Management System has also been developed by the department.

Two e-Citizen Services namely “Permission for felling of trees from areas closed under Punjab Land Preservation Act, 1900” and “NOC in respect of Reserved Forests / Restricted Forests / PLPA” have been launched by the department. The Block Forest Areas are being got digitized by HARSAC, Hisar.

R. R. JOWEL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Forest Department.

Chandigarh:
Dated: 30-08-2016.

54730—C.S.—H.G.P., Chd.